

## उत्तरांचल शासन

(26)

### वित्त विभाग

सं १३९/XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006

दिनांक: देहरादून: दिसम्बर १९, 2006

#### अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं १, वर्ष 1904) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपष्टित उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं २७ वर्ष 2005) की धारा ४ की उपधारा (४) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I व अनुसूची-II (ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—  
अनुसूची-I

अनुसूची-I की क्रम संख्या ६५ की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी—

६६. वुड कार्विंग की निम्नलिखित वस्तुएं जिनका प्रत्येक का मूल्य रूपये २५० या कम हो—

- (1) अगरबत्ती स्टैन्ड कार्वड
- (2) बाक्सेज कार्वड ४"X ४" से ८"X १२"
- (3) बैंगल बाक्स कार्वड ६" X १०" से ८"X १२"
- (4) बैंगल स्टैड कार्वड १२" X १६"
- (5) बाउलस कार्वड ४" से १०"
- (6) बुक स्टैन्ड कार्वड १२" से १६"
- (7) कोस्टर सैट कार्वड
- (8) केन्डल स्टैड कार्वड
- (9) क्लैन्डर कार्वड
- (10) कैसेट स्टैड कार्वड
- (11) कार्नर रैक कार्वड १२"X १६"
- (12) चकला बेलन वुड कार्विंग का
- (13) एलीफैन्ट्स कार्वड
- (14) फ्लावर पॉट कार्वड
- (15) फ्रेम कार्वड
- (16) फ्रुट ट्रे कार्वड
- (17) की हैंगर्स कार्वड

विधि-

इन वस्तुओं की वृद्धि

5237  
21-12-06

- (18) खड़ाऊ; (चट्टी) कार्वड
- (19) लैटर रैक कार्वड 12" से 16"
- (20) लीफ ट्रे कार्वड
- (21) प्लेट कार्वड 5" से 12"
- (22) पाउडर पॉट कार्वड
- (23) पैन स्टैंड कार्वड
- (24) रामायण बाक्सेज कार्वड
- (25) रामायण स्टैंड कार्वड 10" से 24"
- (26) सिन्दूर पॉट कार्वड
- (27) स्पून-पल्टा
- (28) टी ट्रे कार्वड
- (29) टैम्पल कार्वड 24" तक
- (30) टेबल कार्वड 6" से 18"
- (31) वाल प्लेट कार्वड
- (32) वाल ब्रैकेट कार्वड
- (33) वाकिंग स्ट्रिक्स सभी प्रकार की

**67. रूपये 250 तक मूल्य का निम्नलिखित विवरण का माल—**

- (1) कृत्रिम भंगलसूत्र उनके धागे व चेन तथा कृत्रिम लाकेट
- (2) शंख, चवर, पूजा के बर्तन
- (3) मार्बल के चकला व बेलन

**68. मनुष्य अथवा पशु चलित गाड़ियों के टायर ट्यूब उनके स्पेयर पार्ट्स तथा ऐसेसरीज अनुसूची-II (ख)**

क्रमांक 127 पर अंकित वर्तमान प्रविष्टि में "पशुओं का संतुलित आहार" के बाद निम्नलिखित वस्तुएँ बढ़ा दी जायेंगी:-

**127. संतुलित कुक्कुट आहार एवं संतुलित मत्स्य आहार**

आज्ञा से,  
 (राधा रत्नडी)  
 सचिव वित्त

सं० / XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006तददिनांक  
प्रतिलिपि प्रेषित—

- ✓ 1—कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तरांचल, देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त अधिकारियों को तुरंत इस अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रुडकी को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तरांचल गजट में प्रकाशित करके इसकी 250—250 प्रतियां शासन को तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

सचिव वित्त,

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 939 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2006 dated November 19/12, 2006 for general information.

## UTTARANCHAL SHASAN

939 VITTA VIBHAG  
NO. /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2006  
DATED: DEHRADUN 19 December , 2006  
Notification

Whereas the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P Act no. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttaranchal) the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette the following amendment in Schedule-I and Schedule-II (B) of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 –

### Schedule-I

After the existing entry at serial no 65 of Schedule - I the following entry shall be added-

66. Following articles of woodcarving each valueing rupees 250 or below;

- (1) Agarbatti stand carved
- (2) Boxes carved 4"X4" to 8"X12"
- (3) Bangle box carved 12"X16"
- (4) Bangle stand carved 12"X16"
- (5) Bowls carved 4" to 10"
- (6) Book stand carved 12" to 16"
- (7) Coaster set carved
- (8) Candle stand carved
- (9) Calender carved
- (10) Casset stand carved
- (11) Corner rack carved 12"X16"
- (12) Chakla belan of wood carving
- (13) Elephants carved
- (14) Flower pot carved
- (15) Frame carved
- (16) Fruit tray carved
- (17) Key hangers carved

- (18) Kharao (chatti) carved
- (19) Letter rack carved 12" to 16"
- (20) Leaf tray carved
- (21) Plate carved 5" to 12"
- (22) Powder pot carved
- (23) Pen stand carved
- (24) Ramayan boxes carved
- (25) Ramayan stand carved 10" to 24"
- (26) Sindoor pot carved
- (27) Spoon-palta
- (28) Tea tray carved
- (29) Temple carved upto 24"
- (30) Table carved 6" to 18"
- (31) Wall plate carved
- (32) Wall bracket carved
- (33) Walking stick of all types

67. Goods of the following description valueing upto rupees 250/-

- (1) Artificial Mangal Sutra, their thread and chain and artificial locket
- (2) Conch, chanwar, Pooja utensils
- (3) Chakla, belan of marble

68. Tyres and tubes, spare parts and accessories of carts driven manually or by animals.

#### Schedule-II (B)

In the existing entry at serial no 127 after the words 'Balanced cattle feed' the following items shall be added namely:

127. Balanced poultry feed and balanced aquatic feed.

By Order,



(Radha Raturi)

SECRETARY FINANCE